GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr-II)

F.5(2)DOP/A-II/91

Jaipur, Dated 25.10.07

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992, namely:-

1. **Short title and commencement**- (i) These rules may be called the Rajasthan Computer State and Subordinate Service (Amendment) Rules, 2007.

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Schedule II** - In Schedule II appended to the Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992, hereinafter referred to as the said rules, the existing entries in column 5 against serial number 3 shall be substituted by the following, namely:-

" (i) Graduate in Computer Science / Computer Applications or Electronics of a University established by law in India.

OR

Post Polytechnic Diploma in Computer Applications or 3 years Diploma in Computer Science & Engineering from a Polytechnic Institution recognised by the Government.

OR

Graduate of a University established by law in India with Diploma in Computer Science / Computer Applications of a University established by law in India or of an Institution recognized by the Government.

OR

Graduate of a University established by law in India with "O" or Higher Level Certificate course conducted by DOEACC under the control of Department of Electronics, Government of India.

OR

Graduate of a University established by law in India with Computer Operator & Programming Assistant (COPA) / Data preparation and Computer Software (DPCS) Certificate Organised under National / State Council of Vocational Training Scheme, and

(ii) Speed of 8000 key depression per Hour on Computer in Hindi & English."

3. **Amendment of Schedule VI** - The existing Schedule VI appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

" SCHEDULE VI
(See Rule 18)

Syllabus and scope of papers for the Data Entry Operator Competitive Examination.

The marks and time allowed for Part-I and Part-II shall be as mentioned hereunder:-

Part I - Written Examination :

A candidate must appear in both the papers.

Name of Paper	**Marks**	**Time**
Paper-I : Aptitude Test and General Awareness in Information Technology	30	1 Hour
Paper-II : Fundamentals of Computers	70	2 Hours
Part II - Speed Test :		
Bilingual (Hindi & English)	120	30 Minutes

SCOPE OF PAPER
Part I - Written Examination

Paper-I Aptitude Test and General Awareness in Information Technology (Computers)

Problem Solving, Data Interpretation, Data Sufficiency, Logical Reasoning and Analytical Reasoning. General Knowledge and Current Affairs relating to India and Rajasthan, Major developments in the field of Information Technology.

Paper - II Technical Theory (I.T.)

Overview of the Computer System, Computer Application and Organisations, Anatomy of a Computer, Representation of Data (Digital versus Analog, Digital Number System) Operating System (Windows, UNIX, LINUX), Word Processing (MS-Word), Spread Sheet Software (MS-Excel), Presentation Software (MS Power Point) and IT in Society.

DBMS (MS-Access), Knowledge Business Data Processing, Concepts of files, Principles and Programming Techniques, Visual Foxpro and Business Applications, RDBMS (SQL).

Introduction of Internet Technology and Protocol, LAN, MAN, WAN, Introduction to TCP/IP, World Wide Web Browsers, e-mail, File Transfer Protocol, Telenet, Web publishing, HTML Interactivity Tools, Multimedia and Graphics, Internet Security Management Concepts (Firewalls), Voice Mail and Video Conferencing, Introduction to e-Commerce, Creating & Maintaining Websites.

Algorithms for Problem Solving, Introduction to C Language, Programming in C and C++, Conditionals and Loops Arrays, Functions.

Elementary Knowledge :
Object Oriented Programming (OOPs) in Visual Basic and JAVA Programming Elements, Integrated Development Environment, Working with Forms, Basic Active X Controls, Graphics with VB, Multiple Document Interface, Error Handling, Initials of Programming with VB, Windows API and DLLs.

Part II - Speed Test

A speed test of bilingual (Hindi & English) nature will be taken on Computer Machines.

Those of the candidates obtaining 40% marks in the written examination shall be considered to have obtained qualifying marks for the Speed Test. However, the minimum qualifying marks for SC/ST candidates shall be 36%.

The number of candidates to be admitted to the Speed Test will be three times the advertised vacancies (category wise).

Note for general guidance:

1. The standard of the paper will be that of a Degree Examination of a University established by law in India. A brief outline of the scope of each paper is given in this Schedule for general guidance of candidates but is not intended to be exhaustive.
2. All papers unless specifically required, shall be answered either in English or in Hindi, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi or partly in English unless specifically allowed to do so.
3. If a candidate's hand-writing is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.
4. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all descriptive papers of the examination."

By order and in the name of the Governor

(Loknath Soni)
Dy. Secretary to Govt.

38/2007

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

कमांक प.5(2)कार्मिक/क–2/91 जयपुर, दिनांक : 25/10/07

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (i) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2007 है।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची II का संशोधन.– राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, से संलग्न अनुसूची II में क्रम सं 3. के सामने स्तम्भ 5 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एप्लीकेशन या इलैक्ट्रोनिक्स में स्नातक।

या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पॉलीटेकनिक संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलीटेकनिक डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलैक्ट्रानिकस विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी (डोएक) द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय / राज्य परिषद् के अधीन कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स.) / डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेअर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र, और

(ii) हिन्दी और अंग्रेजी में कम्प्यूटर पर प्रति घंटा 8000 'की डिप्रेशन' की गति।"

3. <u>अनुसूची VI का संशोधन</u>.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची VI के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"<u>अनुसूची VI</u>

(नियम 18 देखिए)

<u>डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण और प्रश्नपत्रों का विस्तार</u>

प्रश्नपत्र-I और प्रश्नपत्र-II के लिए अनुज्ञात अंक और समय इसके नीचे यथा-उल्लिखित है :-

<u>भाग I - लिखित परीक्षा</u> :

अभ्यर्थी को दोनों प्रश्नपत्रों में बैठना होगा।

प्रश्नपत्र का नाम	अंक	समय
प्रश्नपत्र-I सूचना प्रौद्योगिकी में योग्यता परीक्षण और सामान्य जानकारी	30	1 घंटा
प्रश्नपत्र-II कम्प्यूटर के मूलभूत सिद्धान्त	70	2 घंटे

<u>भाग II गति परीक्षण</u>

द्विभाषिक (हिन्दी और अंग्रेजी)	120	30 मिनट

<u>प्रश्नपत्र का विस्तार</u>

<u>भाग I - लिखित परीक्षा</u>

<u>प्रश्नपत्र-I सूचना प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर) में योग्यता परीक्षण और सामान्य जानकारी</u>

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजीकल रीजनिंग और एनालीटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास।

<u>प्रश्नपत्र-II तकनीकी सिद्धान्त (त.सि.)</u>

समाज में कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर एप्लीकेशन और आर्गेनाईजेशन, कम्प्यूटर के अवयव संघटन, डाटा (डिजिटल बनाम ऐनालोग, डिजिटल नम्बर सिस्टम) आपरेटिंग सिस्टम (विनडोज, यूनिक्स, लाईनक्स), वर्ड प्रोसेसिंग (एमएस-वर्ड), स्प्रेड शीट सोफ्टवेअर (एमएस एक्सेल) का रिप्रजेन्टेशन, सोफ्टवेअर (एमएस पॉवर वर्ड) और आईटी पर दृष्टिपात।

डीबीएमएस (एमएस - एक्सेस), नॉलिज बिजनिस डाटा प्रोसेसिंग, फाईलों के कन्सेप्ट, प्रिंसिपलस और प्रोग्रामिंग टेक्नीकस, विज्युअल फोक्सप्रो और बिजनिस एप्लीकेशनस, आरडीबीएमएस (एसक्यूएल)।

इन्टरनैट प्रौद्योगिकी और प्रोटोकाल, लेन, मेन, वेन का परिचय, टीसीपी/आईपी, वर्ल्ड वाईड वेब ब्राउसर, ई-मेल, फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकाल, टेलीनेट, वेब पब्लिशिंग, एचटीएमएल इन्टरएक्टीविटी टूल्स, मल्टीमिडिया एण्ड ग्राफिक, इन्टरनेट सिक्यूरिटी मैनेजमेन्ट कन्सेप्ट (फायरवाल्स), वॉयस मेल और विडियो कान्फ्रेंसिंग का परिचय, ई-कॉमर्स का परिचय, वेबसाईट का सर्जन और रखरखाव।

प्राबलिम सोलविंग के लिए अैलगरिज्म (विधि-विशेष), सी लेंग्वेज का परिचय, सी और सी++ में प्रोग्रामिंग, कन्डिशनल्स और लूप्स अॅरे, फन्क्शन्स।

<u>प्रारंभिक ज्ञान</u> :

विज्युअल बेसिक में आबजेक्ट आरियेन्टेड प्रोग्रामिंग (ओओपी) और जावा प्रोग्रामिंग एलिमेन्ट्स, इन्टीग्रेटिड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, फोर्म्स के साथ वर्किंग, बैसिक एक्टिव X कन्ट्रोल, वीबी के साथ ग्राफिक्स, मल्टीपल डाक्यूमेन्ट इन्टरफेस, एरॅर हेन्डलिंग, वीबी के साथ प्रोग्रामिंग की शुरूआत, विंडो एपीआई और डीएलएल।

<u>भाग II - गति परीक्षण</u>

द्विभाषिक (हिन्दी और अंग्रेजी) प्रकृति का गति परीक्षण कम्प्यूटर मशीन पर लिया जायेगा।

ऐसे अभ्यर्थियों को, जो लिखित परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करें, गति परीक्षण के लिए अर्हक अंक प्राप्त किया हुआ समझा जायेगा। तथापि, अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 36% होंगे।

गति परीक्षण में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों (प्रर्वगवार) का तीन गुना होगी।

<u>सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण</u> :

1. प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस अनुसूची में बतलायी गयी है परन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।
2. समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हों, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे। किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।
3. यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से इस कारण कुछ अंकों की, जो उसे अन्यथा प्रोद्भूत होते, कटौती कर दी जायेगी।
4. परीक्षा के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नपत्रों में शब्दों की सम्यक् मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।"।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

38/2007